

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर

आ दे श

क्रमांक 549 / S.W./2023

मण्डलेश्वर, दिनांक 23/02/2023

मैं, डी. के. नागले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर प्रशासकीय कर्तव्य के निर्वहन में मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एकट, 1958 अध्याय 04 के नियम 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 612/एक-11-1/93/सा.ले. दिनांक 15.12.2022 वर्ष 2023 के दीवानी एवं दांडिक कार्य विभाजन पत्रक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट करने का आदेश देता हूं जो कि दिनांक 01.03.2023 से प्रभावशील रहेगा, अर्थात्

सारणी

क्र	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर	न्यायिक तहसील महेश्वर एवं कसरावद	(ब)	7	<p>आरक्षी केन्द्र महेश्वर, मण्डलेश्वर, करही, कसरावद एवं बलकवाड़ा क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एकट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले कलेम प्रकरण (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एकट के समस्त प्रावधान लागू होंगे)</p> <p>इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी द्वारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण द्वारा विधि तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही/निराकरण किया जावेगा।</p> <p>टीप – सारणी के सरल क्रमांक 1 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (ब) 7 में उपरोक्तानुसार इबारत प्रतिस्थापित की जाती है।</p>
2	विशेष न्यायाधीश एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	संपूर्ण सत्र	(अ)	3	<p>संपूर्ण न्यायिक जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एकट 1985 से संबंधित विशेष सत्र/आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, रिमाण्ड प्रपत्र, सुपूर्दगीनामा आवेदन पत्र तथा उक्त अधिनियम अंतर्गत अन्य विविध कार्यवाहियां।</p> <p>(किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>टीप – सारणी के सरल क्रमांक 2 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (अ) 3 में लिखी गई उपरोक्तानुसार इबारत विलोपित की जाती है।</p>
4	द्वितीय	संपूर्ण सत्र	(अ)	2	संपूर्ण न्यायिक जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की राजस्व सीमाओं

(1)	(2)	(3)	(4)					
	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंडलेश्वर	खण्ड पश्चिम निमाड़	<p>के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एकट 1985 से संबंधित विशेष सत्र/आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, रिमाण्ड प्रपत्र, सुपूर्दग्नीनामा आवेदन पत्र तथा उक्त अधिनियम अंतर्गत अन्य विविध कार्यवाहियां। (किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>टीप – सारणी के सरल क्रमांक 4 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (अ) 2 में लिखी गई उपरोक्तानुसार इबारत जोड़ी जाती है।</p>					
9	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वाह	न्यायिक तहसील बड़वाह के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(ब)	6	<p>आरक्षी केन्द्र बड़वाह एवं बलवाड़ा क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एकट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एकट के समस्त प्रावधान लागू होंगे)</p> <p>इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी द्वारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण द्वारा विधि तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही/निराकरण किया जावेगा।</p> <p>टीप – सारणी के सरल क्रमांक 9 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (ब) 6 में उपरोक्तानुसार इबारत प्रतिस्थापित की जाती है।</p>			
10	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	न्यायिक तहसील सनावद के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(ब)	6	<p>आरक्षी केन्द्र सनावद एवं बेड़िया क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एकट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एकट के समस्त प्रावधान लागू होंगे)</p> <p>इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी द्वारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण द्वारा विधि तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही/निराकरण किया जावेगा।</p> <p>टीप – सारणी के सरल क्रमांक 10 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (ब) 6 में उपरोक्तानुसार इबारत प्रतिस्थापित की जाती है।</p>			
11	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील खरगोन के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(ब)	6	<p>मोटर व्हीकल एकट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण।</p> <p>टीप – सारणी के सरल क्रमांक 11 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (ब) 6 में उपरोक्तानुसार इबारत विलोपित की जाती है।</p>	(स)	1ए	<p>आरक्षी केन्द्र कोतवाली खरगोन एवं मेनगांव क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एकट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एकट के समस्त प्रावधान लागू होंगे)</p> <p>इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी द्वारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण द्वारा विधि तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	
				कार्यवाही / निराकरण किया जावेगा । टीप – सारणी के सरल क्रमांक 11 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (स) 1 में उपरोक्तानुसार इबारत जोड़ी जाती है।
13	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील खरगोन के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(ब)	6 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत कलेम प्रकरण । टीप – सारणी के सरल क्रमांक 13 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (ब) 6 में उपरोक्तानुसार इबारत विलोपित की जाती है।
			(स)	1ए आरक्षी केन्द्र बिस्टान एवं बर्लड़ क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले कलेम प्रकरण (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के समस्त प्रावधान लागू होंगे) इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी दवारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण दवारा विधि तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही / निराकरण किया जावेगा । टीप – सारणी के सरल क्रमांक 13 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (स) 1 में उपरोक्तानुसार इबारत जोड़ी जाती है।
14	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील खरगोन के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(ब)	6 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत कलेम प्रकरण । टीप – सारणी के सरल क्रमांक 14 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (ब) 6 में उपरोक्तानुसार इबारत विलोपित की जाती है।
			(स)	1ए आरक्षी केन्द्र उन, गोगावां एवं भगवानपुरा क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले कलेम प्रकरण (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के समस्त प्रावधान लागू होंगे) इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी दवारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण दवारा विधि तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही / निराकरण किया जावेगा । टीप – सारणी के सरल क्रमांक 14 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (स) 1 में उपरोक्तानुसार इबारत जोड़ी जाती है।
18	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव के न्यायालय के	न्यायिक तहसील भीकनगांवके अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(ब)	6 आरक्षी केन्द्र भीकनगांव एवं चेनपुर क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले कलेम प्रकरण (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के समस्त प्रावधान लागू होंगे) इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and

(1)	(2)	(3)	(4)
अतिरिक्त न्यायाधीश			<p>Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी द्वारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण द्वारा विधि तथा समय—समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही/निराकरण किया जावेगा।</p> <p>टीप – सारणी के सरल क्रमांक 18 के स्तम्भ क्रमांक 4 के (ब) 6 की उपरोक्तानुसार इबारत प्रतिस्थापित की जाती है।</p>

(दिलीप कुमार नागले)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

.....